राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

क्रमांकः एफ 2(1)ग्रावि/अनु–8/2014/ जयपुर, दिनांक 23.06.2015

<u>बैठक कार्यवाही विवरण</u>

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक बैठक दिनांक 22.6.2015 में दिये गये निर्देश निम्नानुसार हैः–

1. बीएडीपी योजना में लाईन विभागों द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के संबंध में पुनः समस्त सचिवों को लिखा जाए तथा जिन मामलों में बहुत अधिक देर हो गयी है उन मामलों में संबंधित जिला कलक्टर से आरोप पत्र मंगवाकर लाईन विभागों के सचिवों को अग्रिम कार्यवाही हेतु लिखा जाए।
(योजना प्रभारी)
2. बीएडीपी योजना वर्ष 2015–16 को भारत सरकार के सबमिशन व अन्य कार्यो के लिए ~~दिनांक 16.06.2015 को~~ संबंधित परियोजना अधिकारी (एसएपी) एवं एक–एक व्यक्ति जिलों से लेकर दिल्ली जाना सुनिश्चित करेंगे तथा आवश्यक कार्यवाही कर वर्ष 2015–16 के कार्ययोजना स्वीकृत करायेंगे।
(योजना प्रभारी)
3. डांग, मगरा, मेवात योजना में भेजे गये समस्त प्रस्तावों की स्वीकृतियॉ 5 जुलाई 2015 तक जारी कराया जाना सुनिश्चित करें।
(योजना प्रभारी)
4. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास द्वारा 30 ब्लॉकों में दर निर्धारित की गयी है उनसे सम्पर्क कर दर निर्धारण शतप्रतिशत कराया जाना सुनिश्चित करें।
(योजना प्रभारी)
5. वित्तीय सलाहकार द्वारा ब्लॉकवार सूचना आगामी बैठक में शतप्रतिशत उपलब्ध करायी जाये।
(वित्तीय सलाहकार)
6. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में 15वीं लोकसभा के व्यय की मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है। इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
(पीडी एसएपी–एसएस)
7. समस्त योजना प्रभारी दिनांक 1.4.2014 से पूर्व के कार्यो का अपलोडेशन आईडब्ल्यूएमएस में कर दिया गया है यह सुनिश्चित करेगें।
(समस्त योजना प्रभारी)
8. आवास योजना में नये प्रयोगों को देखने हेतु जाने वाली टीम संबंधित राज्य को पूर्व सूचना दे तथा पूर्ण कोर्डिनेशन उपरान्त ही राज्य से प्रस्तान करें।
(योजना प्रभारी)
9. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना में 122 विधायकों द्वारा ग्राम पंचायत का चयन कर लिया गया है शेष के लिए सचिव महोदय की ओर से जिला कलक्टरर्स को तथा मा0 विधायकगण को मा0 मंत्री महोदय की ओर से पत्र लिखवाया जाए।
   मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बारे में माननीया मुख्य मंत्री महोदया द्वारा मा0 प्रधानमंत्री महोदय को योजना के प्रारम्भ व उसके संचालन के बारे में पत्र लिखा जाए।
(योजना प्रभारी)
10. सहायक सांख्यिकी अधिकारी व जिला प्रभारियों को प्रशिक्षण हेतु ओटीएस को लिखा जाए।
(योजना प्रभारी)
11. विधान सभा के चतुर्थ सत्र के बकाया सभी प्रश्नों का उत्तर एक सप्ताह में विधान सभा को प्रेषित कर दिये जायें।
(योजना प्रभारी)
12. सभी योजना प्रभारी अपने अनुभाग के कार्मिकों की बैठक लेगें तथा उसकी मिनट्स कम से कम एक पृष्ठ की जारी कर सचिव महोदय को अवगत करायेंगे।

(समस्त योजना प्रभारी)

13. मा0 मंत्री महोदय, जनस्वास्थ्य एवं अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा सामुदायिक भवन की राशि घटाने व उसके आकार के संबंध में दिये गये निर्देशों को रिवाईज करने तथा नलकूपों के संचालन हेतु स्थानीय यूजर कमेटी को संचालन की जिम्मेदारी हेतु दिये गये प्रस्तावों को पत्रावली पर प्रस्तुत करें।

(योजना प्रभारी)

14. आगामी बैठकों में प्रत्येक योजना प्रभारी आईडब्ल्यूएमएस पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर योजनाओं के बारे में विचार–विमर्श करेगें अतः सभी योजना प्रभारी वैबसाईड पर उपल्ध एमपीआर का पूर्ण अध्ययन कर बैठक में उपस्थित होगे।

(योजना प्रभारी)

22/5/15

परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (मोएवंमू)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग।
2. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग।
3. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग।
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी–एसएस, मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग।
5. अति0 मुख्य अभियन्ता एवं परि0निदे0एवं पदेन उप सचिव(सीएसएस) ग्रा.वि.विभाग।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
7. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई / श्रीयोजना।
8. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

28/5

परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (मोएवंमू)

(15)